न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर अरनोद

पीठासीन अधिकारी– प्रकाश चन्द्र रेगर (RAS) उपखण्ड अधिकारी अरनोद
प्रकरण सं. 62/08 दायरा तारीख– 29.06.2008
दावा बाबत्– 88,89 आर टी एक्ट
उनवान

अशोक पिता नन्दा जी कमावत निवासी अचनारा (वादी)
बनाम
रामभरोसे पिता श्री देवीदीन ब्राहमण नि. अचनारा (प्रतिवादी)

उपस्थिति–

श्री विमल कुमार मोदी– अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक 08.01.2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी की नाबालिगी में वादी के नाम से वादी के पिता कि मौजा अचनारा पूर्व आराजी नं. 52 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र 9–6–83 से क्रय कर मौके पर कब्जा प्राप्त किया। जरिये ना.सं. 216 जमाबंदी संवत् 2032–35 में खाता सं. 109 में दर्ज हुई। उक्त आराजी वादी के बालिग होने पर भी कब्जे–काश्त में चली आ रही है। वक्त सेटलमेंट उक्त आराजी का नया नम्बर 73 व क्षैत्रफल 0.71है. दर्ज हुआ। परन्तु सम्वत् 2039 के सेटलमेंट रिकॉर्ड में हाल आराजी नं. 73 वादी के नाम पर दर्ज न कर प्रतिवादी के नाम पर दर्ज कर दी।

वादी मौजा अचनारा की गत आराजी सं. 52 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा जिसका नया नम्बर 73 रकबा 0.71है. का खातेदार काश्तकार है। अतः घोषणा करवायी जावे के वादी उक्त आराजी का खातेदार काश्तकार है।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल न होने पर दिनांक 20.09.17 की आदेशिका अनुसार स्थानीय अखबार जय कांठल में सांया दिनांक 15.06.2018 को करवाया गया। फिर भी प्रतिवादी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने पर दिनांक 13.07.18 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर पत्रावली शहादत वादी में रखी गयी। वादी की ओर से स्वयं वादी एवं नागुलाल के शपथ पत्र पेश किये गये। उक्तानुसार दस्तावेजो प्रतिदर्श करवाये गये। तत्पश्चात साक्ष्य बंद किये जाकर पत्रावली पर अंतिम बहस सुनी गई

विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिया कि वादग्रस्त आराजी वादी में पिता ने जरिये रजि. विक्रय पत्र क्रय की जिसका वक्त सेटलमेंट राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद वादी के नाम न किया जाकर प्रतिवादी के नाम गैर वैधानिक रूप से कर दिया गया जबकि वादी वादग्रस्त आराजी नं. 52 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा नया 73 रकबा 0.71है. को खातेदार व कब्जे काश्त है। अतः निवेदन है कि वादी को वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

हमने पत्रावली पर संलग्न समस्त दस्तावेजों का आद्योपान्त ध्यानपूर्वक अवलोकन कर अध्ययन एवं विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस पर गौर किया।

पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजो प्रतिदर्श–1 पंजीयन दस्तावेज दिनांक 22.6.83 पुस्तक सं. 1 जिल्द सं. 120 क्रमांक 112 पृष्ठ 389 के अनुसार वादी के नाम रामभरोसे पिता देवीदीन रजिस्ट्री हुयी जिसका नामान्तरण पंजिका (P21) प्रतिदर्श –4 ग्राम अचनारा दिनांक 22.05.84 को खोला गया। जमाबंदी संवत 2032–35 प्रतिदर्श–2

उपखण्ड अधिकारी
अरनोद,

खाता सं. 108 खसरा नं. 52 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा जरिये बिकाव अशोक पिता नंदा उम्र 10 वर्ष ना.बा. नं. पिता नंदा पिता तुलसीराम के नाम दर्ज हुई। प्रतिदर्श (3) सेटलमेंट के समय ख.नं. 52 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा के नये नं. 73 रकबा 0.71है. बने। परन्तु वादी की जगह खातेदार प्रतिवादी को दर्ज कर दिया गया जो प्रतिदर्श–5 जमाबंदी 2062–65 में अंकित है।

निष्कर्षतः– पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो साक्ष्यों से स्पष्ट है कि वादी सेटलमेंट से पूर्व वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार था जिसे वक्त सेटलमेंट खातेदारी अधिकार से वंचित कर प्रतिवादी को अवैधानिक रूप से खातेदार बना दिया। अतः वादी को वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित है।

कियात्मक आदेश– वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी को मौजा अचनारा की वादग्रस्त आराजी सं. 73 रकबा 0.71है. जमाबंदी (2062–65) का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

पत्रावली फैशल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

फर्द डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 08.01.2021 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
पीठासीन अधिकारी